

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

**अधिसूचना**

राँची,

दिनांक :- 24.2.12

अधि.सं.-01/स्था.66/2006 जोस0-850/दिनांक 12.1.2012 को विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के निम्नलिखित मुख्य अभियन्ता(असैनिक) चालू प्रभार (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित पद/स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्र.	पदाधिकारी का नाम/ पदनाम /आई.डी./जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन का स्थान	रिक्त पद/कार्यालय का नाम (जिसका अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करना है)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री बानेश्वर रविदास (अ.जा.) मुख्य अभियन्ता (चालू प्रभार) 3164/30.04.53/राँची	मुख्य अभियन्ता (चालू प्रभार) पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	मुख्य अभियन्ता (चा.प्र.) के रूप में सेवा झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड को।	पर्यटन विभाग में मुख्य अभियन्ता (चा.प्र.) का अतिरिक्त प्रभार
2	श्री अजित लुईस लकड़ा(अ.ज.जा.) मुख्य अभियन्ता (चालू प्रभार) 3864/25.08.61/राँची	मुख्य अभियन्ता (चालू प्रभार) पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	मुख्य अभियन्ता(चा.प्र.) जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर	

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

( चन्द्र भूषण सिन्हा )

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं कार्यालय अभिलेख हेतु इसकी 25 (पचीस) प्रतियाँ उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

( चन्द्र भूषण सिन्हा )

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ माननीय उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, आवास विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची/ अभियन्ता प्रमुख-01, एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/ संबंधित मुख्य अभियन्ता/ संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/ संबंधित कार्यपालक अभियन्ता/ संबंधित सभी पदाधिकारियों, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी- 01, 02, 06, 07/ब, 07/यो. एवं 08 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ श्री ओंकार नाथ, वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी को यह निदेशित किया जाता है कि अविलम्ब संबंधित पद का प्रभार ग्रहण कर विभाग को संसूचित करेंगे।

( चन्द्र भूषण सिन्हा )

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)